



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)

Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hq.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीतसिंहमार्ग

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली-110016 New Delhi – 110016

टेलीफोन 011-26858570 ई-मेल E-mail: rps.kvshq@gmail.com

वेबसाइट Website: http://kvsangathan.nic.in

विज्ञापन संख्या 20/2025

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद को भरना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, केविसं के लिए लागू भर्तियों के साथ वेतन स्तर -12 (₹ 78,800-2,09,200/-) में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं :-

पद	सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अस्थि विकलांग (ओएच)	दृष्टि-बाधित	श्रवण बाधित
उपायुक्त (समूह-ए)	02	-	01	-	-	03	-	01	-

अनिवार्य :

- मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड.

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड.-एम.एड.

- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर -12 (₹ 78,800-2,09,200/-) में शिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन और/या शिक्षा में अनुसंधान में अनुभव के साथ शैक्षणिक शासन में शिक्षाविद के क्षेत्र में सहायक आयुक्त के पद पर नियमित आधार पर कम से कम 03 वर्षों से कार्यरत होना

अथवा

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर -12 (₹ 78,800-2,09,200/-) में शिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन और/या शिक्षा में अनुसंधान में अनुभव के साथ शैक्षणिक शासन में शिक्षाविद के क्षेत्र में सहायक आयुक्त के समकक्ष पद पर नियमित आधार पर कम से कम 03 वर्षों से कार्यरत होना

- iv) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान
- v) हिंदी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान

आयु सीमा : 50 वर्ष से अधिक नहीं | केविसं के कर्मचारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी।

1. आवेदनों की जांच की जाएगी तथा पात्र उम्मीदवारों को दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा | उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कर लें | यदि उम्मीदवार किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है तो शुल्क वापस नहीं किया जाएगा | इस संबंध में केविसं का निर्णय अंतिम होगा |
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को किसी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा |
3. चयनित अधिकारी को केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय/पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शिक्षा और प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा |
4. पात्र उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में **उचित माध्यम से ही** जिसके साथ आवेदन शुल्क (₹ 2000/-) तथा प्रोसेसिंग शुल्क (₹500/-) के रूप में ₹2500/- (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो **‘केन्द्रीय विद्यालय संगठन’** के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगा, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा) **संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110 016** को दिनांक 23.09.2025 तक जमा करवाने होंगे | अग्रिम प्रति अस्वीकार्य होगी |

हस्ताक्षर/-
संयुक्त आयुक्त(प्रशासन)

प्रपत्र

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उपायुक्त के पद के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन पत्र

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. जन्म तिथि(ईसाई युग)(दिनांक/माह/वर्ष) :
3. श्रेणी(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग(पीएच)/भूतपूर्व सैनिक) :
4. पत्राचार के लिए पता(स्पष्ट शब्दों में) :
5. ई.मेल पता :
6. उम्मीदवार का मोबाइल नंबर :
7. कार्यालय का दूरभाष नंबर :
8. शैक्षणिक योग्यता(+2 चरण से आरंभ) :

पासपोर्ट
साइज का
नवीनतम
रंगीन फोटो
चपकाया जाए

क्र.सं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय

9. कालानुक्रमिक क्रम में अनुभव/रोजगार के विवरण(वर्तमान से अवरोही क्रम में) :

क्र.सं.	कार्यालय/ संस्थान/संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर एवं मूल वेतन	शिक्षकों और प्रशासकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन और/या शिक्षा में अनुसंधान का अनुभव	कार्यों की प्रकृति

10. वर्तमान नियुक्ति की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या स्थायी :
11. क्या वर्तमान पद संवर्ग या असंवर्ग पद है :
12. क्या वर्तमान नियुक्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठन के अधीन है :

- [illegible]

दिनांक :
स्थान :

संलग्नक :

प्रमाण-पत्र

दिनांक:
स्थान:

उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश :-

1. केविसं में भर्ती नियमों की पात्रता शर्तों के अनुसार मूल पद पर वास्तविक वेतन के साथ नियमित सेवा करने वाले अधिकारी उपायुक्त के लिए आवेदन करने के पात्र है। एसीपी/ एमएसीपी/तदर्थ के तहत वांछित वेतन स्तर पाने वाले अधिकारी पात्र नहीं है।
2. इस विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले एवं अधूरे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
4. उम्मीदवारों को प्रमाणित प्रतियां/प्रशंसा-पत्र जमा करते समय ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत हो तथा न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जाए।
5. उम्मीदवार की पात्रता, जांच के चरण, साक्षात्कार, चयन और भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में केविसं का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
6. लघुसूची किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। साक्षात्कार के समय इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा।
8. यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
9. केविसं अपने विवेक पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में भर्ती को आंशिक /पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो अंतिम होगा और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
10. इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल दिल्ली में अपने अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के अधीन होगा।